समक्ष जे.वी गुप्ता, जे.

इंट्रा केमिकल्स एंड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड- याचिकाकर्ता

बनाम

रूपा नरैन- उत्तरदाता

1976 के आदेश क्रमांक 248 से प्रथम अपील

23 मई 1984

श्रमिक मुआवजा अधिनियम (1923 का VIII) 1976 के अधिनियम एलएक्सवी द्वारा संशोधित - धारा 4 अनुसूची IV - अनुसूची के संशोधन के बाद होने वाली दुर्घटना - मुआवजा, हालांकि असंशोधित अनुसूची के तहत दावा किया गया है और आयुक्त ने इसकी अनुमति दी है - बाद में संशोधित अनुसूची के तहत बढ़े हुए मुआवजे के लिए आयुक्त को स्थानांतरित करना- क्या संशोधित अनुसूची के अनुसार अपने पुरस्कार को संशोधित करने और मुआवजे की मात्रा बढ़ाने के लिए सक्षम है - नियोक्ता को बाद के आवेदन की सूचना नहीं दी गई है - ऐसे नोटिस का अभाव - क्या किसी पूर्वाग्रह का कारण बनता है।

माना गया कि जहां 1976 के संशोधित अधिनियम के बाद दुर्घटना हुई, वहां दावेदार अनुसूची में दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के हकदार थे। सिर्फ इसलिए कि मूल आवेदन में, दावा की गई राशि असंशोधित अनुसूची के संदर्भ में थी, इससे उन्हें उस राशि से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके लिए वे अधिनियम के तहत हकदार थे। बाद के आवेदन में यह विशेष रूप से दलील दी गई थी कि पहले का आवेदन पुरानी अनुसूची के तहत एक वास्तविक गलती के माध्यम से दायर किया गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयुक्त द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को बाद में जब संशोधित प्रावधानों को उनके संज्ञान में लाया गया तो उनके द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सका। हो सकता है कि दावेदारों की ओर से बाद में दायर किए गए आवेदन का नोटिस नियोक्ता को दिया जाना चाहिए था, लेकिन इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे नियोक्ता पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम एक सामाजिक कानून है और यदि श्रमिक अधिनियम के तहत किसी विशेष राशि के हकदार हैं, तो दावा न करने की वास्तविक गलती के कारण उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अपने पहले के आदेश को संशोधित करना और अधिनियम के तहत उचित आदेश पारित करना आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में था। ( पैरा 4-5 )

श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत गुड़गांव आयुक्त की अदालत के आदेश से पहली अपील, दिनांक 13 जुलाई 1976 जिसमें प्रतिवादी को 16800 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थी की ओर से अरुण जैन अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से अनिल सेठ अधिवक्ता।

**निर्णय**

जे.वी गुप्ता, जे.

1. कामगार नारायण सिंह की नौकरी के दौरान 13 मार्च 1976 को मृत्यु हो गई। श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उनकी विधवा और बच्चों की ओर से मुआवजे के लिए आवेदन दिनांक 17 मई 1976 को दायर किया गया था। दावेदारों के अनुसार, इसमें दावा की गई मुआवजे की राशि अधिनियम की अनुसूची IV के अनुसार 8000 रुपये थी, क्योंकि काम करने वाले का वेतन 230 रुपये प्रति माह बताया गया था। नियोक्ता-अपीलकर्ता की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया था। अंततः,. अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी, और नियोक्ता को दावेदारों को देय मुआवजे के रूप में 8000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आयुक्त द्वारा उक्त आदेश पारित होने के बाद, एक और आवेदन, दिनांक 9 जुलाई 1976 को आयुक्त द्वारा इससे पहले 30 जून 1976 को पारित आदेश में संशोधन के लिए दावेदारों की ओर से स्थानांतरित किया गया था, जिससे उन्होंने दावेदारों को देय मुआवजे के रूप में 8000 रुपये की अनुमति दी थी। बाद के आवेदन में, यह कहा गया था कि मुआवजे के लिए आवेदन में, अधिनियम की पुरानी अनुसूची IV के तहत 8000 रुपये की मुआवजा राशि का दावा किया गया था, जिसे बाद में 1 अक्टूबर 1975 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था। वास्तविक गलती, और संशोधित अनुसूची IV के तहत, वे 18000 रुपये के मुआवजे के हकदार थे। विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश, दिनांक I3 जुलाई, 1976 के तहत उक्त आवेदन को अनुमति दे दी। हालाँकि, मुआवजे की राशि 16,800 रुपये थी, न कि 18,000 रुपये, जैसा कि बाद के आवेदन में दावा किया गया था क्योंकि श्रमिक की मासिक आय केवल 200 रुपये पाई गई थी। इससे असंतुष्ट होकर,

नियोक्ता, यानी, मेसर्स इंट्रा केमिकल्स एंड ड्रग्स (पी) लिमिटेड ने इस न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की।

2. अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि दावा आवेदन में 8,000 रुपये की राशि का दावा किया गया था और आयुक्त द्वारा 30 जून, 1976 के आदेश के तहत मुआवजे के रूप में उक्त राशि की अनुमति दी गई थी। एक बार उक्त आदेश पारित हो गया था , बाद में इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि अधिनियम के तहत ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को बाद के आवेदन का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और 13 जुलाई 1976 का आदेश अपीलकर्ता की पीठ पीछे पारित किया गया था।
3. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।
4. यह विवादित नहीं था कि अनुसूची IV के अनुसार (जैसा कि यह 1 अक्टूबर 1975 को खड़ा हुआ था), 17 मई 1976 को मूल आवेदन दाखिल करने के समय दावेदार 16,800 रुपये की राशि के हकदार थे। माना जा रहा है कि नारायण सिंह की मौत 13 मार्च 1976 को हुई थी। उस समय 1 अक्टूबर 1975 से लागू हुई अनुसूची में संशोधन के मुताबिक, अगर मजदूर की मासिक मजदूरी 150 रुपये से अधिक है लेकिन 200 रुपये से अधिक नहीं है तो देय मुआवजे की राशि 16,800 रुपये थी। बस इसलिए कि मूल आवेदन में दावा की गई राशि 8,000 रुपये थी, यह उन्हें उस राशि से वंचित नहीं करेगा, जिसके वे अधिनियम के तहत हकदार थे। 9 जुलाई 1976 को दिए गए बाद के आवेदन में, यह विशेष रूप से दलील दी गई थी कि पिछला आवेदन पुरानी अनुसूची के अनुसार वास्तविक गलती के कारण दायर किया गया था और इसलिए, इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि आयुक्त द्वारा पारित पूर्व आदेश, दिनांक 30 जून 1976, बाद में जब संशोधित प्रावधानों को उनके ध्यान में लाया गया तो उनके द्वारा संशोधित नहीं किया जा सका।
5. ऐसा हो सकता है कि दावेदारों की ओर से बाद में दायर किए गए आवेदन के अपीलकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्वीकार किए गए तथ्यों पर, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि इसने अपीलकर्ता को किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित किया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम एक सामाजिक कानून है और यदि श्रमिक अधिनियम के तहत किसी विशेष राशि के हकदार हैं, तो दावा न करने की वास्तविक गलती के कारण उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इन परिस्थितियों में, आयुक्त 30 जून 1976 के अपने पहले के आदेश

को संशोधित करना और अधिनियम के तहत उचित आदेश पारित करना अपने अधिकार क्षेत्र में था।

6. मामले के इस दृष्टिकोण से, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह